WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072023-246974
CG-DL-E-03072023-246974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2779] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 3, 2023/आषाढ़ 12, 1945
No. 2779] NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 2023/ASHADHA 12, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2023

सं. 17/2023

विषयः आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 08 के आईटीसी (एचएस) कोड 08028010 के तहत आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 2902(अ).—समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 08 के आईटीसी (एचएस) कोड 08028010 के तहत मदों की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन करती हैः

आईटीसी (एचएस) कोड और विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
08028010 –सुपारी–– साबुत–	निषिद्ध	(क) तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 351/– रु. प्रति कि.ग्रा. अथवा अधिक हो तो आयात मुक्त है। (ख) तथापि, एमआईपी की शर्त 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयों	(क) तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 351/– रु. प्रति कि.ग्रा. अथवा अधिक है तो आयात मुक्त है। (ख) तथापि, एमआईपी की शर्त 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू)

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

		(ईओयू) और एसईजेड में इकाईयों द्वारा आयात हेतु लागू नहीं होगी, बशर्ते कि किसी भी डीटीए बिक्री की अनुमति न हो। (ग) भूटान से न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना प्रति वर्ष 17,000 मीट्रिक टन ताजा (हरी) सुपारी के आयात की अनुमति दी जाएगी। ऐसे आयात की अनुमति केवलः (i) केवल एलसीएस जयगांव (आईएनजेआईजीबी) के माध्यम से और, (ii) डीजीएफटी द्वारा वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के अधीन होगी।	और एसईजेड में इकाईयों द्वारा आयात हेतु लागू नहीं होगी, बशर्ते कि किसी भी डीटीए बिक्री की अनुमति न हो। (ग) भूटान से न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना प्रति वर्ष 17,000 मीट्रिक टन ताजा (हरी) सुपारी के आयात की अनुमति दी जाएगी। ऐसे आयात की अनुमति केवलः (i) केवल एलसीएस जयगांव (आईएनजेआईजीबी) और **एलसीएस चामुर्ची (आईएनसीएचएमबी)** के माध्यम से और (ii) डीजीएफटी द्वारा वैध **पत्तन–विशिष्ट** पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के अधीन होगी।

2. सार्वजनिक सूचना सं. 61/2015–2020 दिनांक 20.03.2023 के साथ पठित डीजीएफटी अधिसूचना सं. 36/2015–2020 दिनांक 28.09.2022 में उल्लिखित शर्तें एलसीएस चामुर्ची के लिए भी लागू हैं।

अधिसुचना का प्रभावः भूटान से न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना 17,000 मीट्रिक टन ताज़ा (हरी) सुपारी का आयात एलसीएस चामुर्ची (आईएनसीएचएमबी) के माध्यम से भी अनुमत होगा।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/43/एएम–01/पीसी–2[क]/भाग–III/ई–8258]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July 2023

No. 17/2023

Subject : Amendment in Import Policy Condition under ITC (HS) 08028010 of Chapter 08 of ITC (HS) 2022, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 2902(E)—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy conditions of items under ITC HS 0802 80 10 of Chapter 08 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy):

ITC(HS) Code& Description	Existing Policy	Existing Policy condition	Revised Policy Condition
08028010 - Areca nuts: --- Whole	Prohibited	a) However, import is Free if CIF value is Rs. 351/- or above per Kilogram. b) MIP conditions, however, will not be applicable for imports by 100% Export Oriented Units (EOUs) and	a) However, import is Free if CIF value is Rs. 351/- or above per Kilogram. b) MIP conditions, however, will not be applicable for imports by 100% Export Oriented Units (EOUs) and

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

		units in the SEZ subject to the condition that no DTA sale is allowed. c) Import of 17,000 Metric Tonnes of Fresh (green) Areca Nut without Minimum Import Price (MIP) condition shall be allowed from Bhutan every year. Such imports are allowed only: i) through LCS Jaigaon (INJIGB) only, and, ii) shall be subject to a valid Registration Certificate issued by DGFT.	units in the SEZ subject to the condition that no DTA sale is allowed. c) Import of 17,000 Metric Tonnes of Fresh (green) Areca Nut without Minimum Import Price (MIP) condition shall be allowed from Bhutan every year. Such imports are allowed only: i) through LCS Jaigaon (INJIGB) and **LCS Chamurchi(INCHMB)** only, and, ii) shall be subject to a valid **port-specific** Registration Certificate issued by DGFT.

2. The conditions set forth in DGFT Notification no. 36/2015-2020 dated 28.09.2022 read with Public Notice No. 61/2015-2020 dated 20.03.2023 are also applicable for LCS Chamurchi.

Effect of the Notification: Import of 17,000 Metric Tonnes of Fresh(green) Areca nut without a Minimum Import Price (MIP) condition from Bhutan shall also be allowed through LCS Chamurchi (INCHMB).

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No.01/89/180/43/AM-01/PC-2[A]/Part-III/E-8258]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.